निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 310) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

14 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-1-02/2014/लेज-40—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 06 मार्च, 2014 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014

[बिहार अधिनियम 5, 2014]

बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावना – चूँकि, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 7, 2007) 30वीं मार्च 2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बिहार पुलिस अधिनियम राज्य में प्रभावी है ;

और चूँकि, राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–1(ख) के अधीन इस अधिनियम के आरंभ की तिथि अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा–1 (ख) का संशोधन करना आवश्यक एवं समीचीन है। इसके अलावे अधिनियम की धारा–97 की उप–धारा (3) में शब्द ''अधिनियम'' के स्थान पर ''नियम'' मुद्रित हो गया है जिसका संशोधन करना भी आवश्यक एवं समीचीन है।

भारत–गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह अधिनियम बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह 30वीं मार्च, 2007 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा।

2. बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा–1 की उप–धारा (ख) का संशोधन। – बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 7, 2007) की धारा–1 में उप–धारा (ख) के लिये निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, और 30वीं मार्च 2007 के प्रभाव से प्रतिस्थापित मानी जाएगी, यथा :–

   ''(ख) यह 30वीं मार्च, 2007 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।''

3. बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा–97 में संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा–97 की उप–धारा (3) में उल्लेखित शब्द ''नियम'' शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार अधिनियम 7, 2007 की धारा–97 के पश्चात धारा–98 का अंतःस्थापन। – निम्नलिखित नई धारा–98 अंतःस्थापित की जायेगी, यथा –

''98 विधिमान्यकरण एवं व्यावृत्ति – (1) उक्त अधिनियम, 2007 की धारा–1 की उप–धारा (ख) एवं धारा–97 में ऐसा संशोधन होने पर भी इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, प्रकाशित की गई सभी अधिसूचनाएँ, प्रदत्त शक्तियाँ, विहित किये गये प्रपत्र, परिभाषित स्थानीय अधिकारिता, पारित की गई सजा तथा पारित आदेश, नियम तथा की गई नियुक्तियाँ बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के अधीन क्रमशः किये गये या की गयी, प्रकाशित, निर्गत, प्रदत्त, विहित, परिभाषित या पारित या की गयी मानी जाएंगी मानो बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि अर्थात् 30.03.2007 से लागू था और विधिमान्य माना जायेगा तथा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, हुआ, निर्गत, की गई इत्यादि मानी जायेगी।

(2) इस अधिनियम की कोई बात अथवा इसके द्वारा किये गये संशोधन उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इत्यादि को प्रभावित नहीं करेगी और न ही प्रभावित करने वाली मानी जायेगी।''

14 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-1-02/2014/लेज-41—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2014 को अनुमत बिहार पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2014 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

The Bihar Police (Amendment) Act, 2014
[Bihar Act 5, 2014]
AN
ACT
To amend the Bihar Police Act, 2007 (Bihar Act 7, 2007)

Preamble– Whereas, the Bihar Police Act, 2007 (Bihar Act, 7, 2007) was published in the official gazette on 30th March 2007 and the Bihar Police Act is operative in the state ;

AND Whereas, the date of commencement of the Act has not been notified by the State Government under section 1(b) of the Bihar Police Act, 2007, now, therefore, it is necessary and expedient to amend section 1(b) of the Act. Besides, in Sub-section (3) of Section 97 of the said Act, 2007, the word “Rule” has been printed in place of the word “Act” amendment of which is also necessary and expedient.

Be it enacted by the Legislature of the state of Bihar in Sixty fifth year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Act may be called the Bihar Police (Amendment) Act, 2014.

   (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

   (3) It shall deemed to have come into force with effect from 30th March, 2007.

2. Amendment of Sub-Section (b) of Section 1 of the Bihar Act 7, 2007.– In section 1 of the Bihar Police Act, 2007 (Bihar Act 7, 2007) for sub section (b) the following subsection shall be substituted and

shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th day of March, 2007 namely:-

"(b) It shall come in to force with effect from 30th of March, 2007."

3. Amendment in Section 97 of the Bihar Act 7, 2007. -

The word "Rule" mentioned in Sub-Section (3) of Section 97 of the said Act, 2007 shall be substituted by the word "Act".

4. Insertion of Section 98 in Bihar Act, 7 of 2007. - After Section 97 of the said Act, - the following new Section 98 shall be inserted, namely-

"98. Validation and Saving – (1) Notwithstanding such amendment, in Sub-section (b) of Section - 1 and Section 97 of the said Act, 2007 any thing done or action taken, all notifications published, powers conferred, forms prescribed, local jurisdiction defined, sentence passed and orders, rules and appointments made before the commencement of this Act shall be deemed, respectively, to have been published, issued, conferred, prescribed, defined, passed or made under the Bihar Police Act, 2007 as if The Bihar Police Act, 2007 were in force from the date of its publication in Official Gazette i.e. 30.03.2007 and shall be deemed to be valid and be deemed to have been made, done, issued, taken etc. in exercise of the powers conferred by or under this Act.

(2) Nothing in this Act or the amendments affected thereby shall effect or he deemed to affect anything done or any action etc. taken under the provisions of the said Act."

By order of the Governor of Bihar,

VINOD KUMAR SINHA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 310-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in